M.P. JUDICIAL SERVICES MAINS EXAMINATION TRANSLATION PRACTICE SET 5

TRANSLATIONS – ENGLISH

1. No citizen of India shall accept any title from any foreign State.

2. Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense.

3. In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for twenty years.

4. One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this Act relating to the relevancy of facts.

5. "Warrant-case" means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding two years.

6. A "local law" is a law applicable only to a particular part of India.

7. The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

8. "Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden.

9. The stay of the order of eviction passed by a Rent Controlling Authority or by the High Court shall not ensure for a total period of more than six months.

10. Nothing is an offence which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law.

11. "Sub-division" means a sub-division of a district.

KARAT LAWZ ACADEMY

12. When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing, which affects such conduct, is relevant.

13. A contracts to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees. This is a contract of indemnity.

14. The word "injury" denotes any harm whatever illegally caused to any person, in body, mind, reputation or property.

15. An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.

KARAT LAWZ ACADEMY

TRANSLATIONS – HINDI

1. भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

2. दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जब कि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते है ।

3. दण्डावधियो की भिन्नो की गणना करने में, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जायेगा ।

4. एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो ।

5. "वारण्ट-मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध से सम्बन्धित है ।

6. "स्थानीय विधि" वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो।

Head Office: 3rd Floor, Patel Hospital Building, Near Laxmi Nagar Metro Station Gate No: 4 , New Delhi 110092
Enquiry Office: B-15 , Commercial Complex, Near IDBI ATM, Mukharjee Nagar, Delhi 110009
8929514009|8929734009
visit us: www.karatlawzacademy.com | Mail: karatlawzacademy@gmail.com

7. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियो के द्वारा करेगा।

8. अस्पर्शयता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है ।

9. बेदखली के आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिये भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश कुल मिलाकर छह मास से अधिक की कालावधि के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

10. कोई बात अपराध नहीं है, जो उसे करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है ।

11. "उपखण्ड" से जिले का उपखण्ड अभिप्रेत है ।

12. जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे, या उसकी उपस्थिति और श्रवगगोचरता में किया गया कोई भी कथन, जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है ।

KARAT LAWZ ACADEMY

13.क ऐसी कार्यवाहियों के परिणामो के लिये, जो ग 200 रूपये की अमुक राशि के संबंध में ख के विरुद्ध चलाए, ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है ।

14."क्षति" शब्द किसी प्रकार की अपहानि का घोतक है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो ।

15.राष्टपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा ।

KARAT LAWZ ACADEMY